सं० स०–3/निदे० पी०ओ०ए० (आ०यो०)16–05/ 2018

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
संकल्प

विषय– **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं नियम 1995 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम 15 (1)(घ) को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए योजना।**

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के नियम, 1995 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–15 (1) के उपबंधों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए विभागीय संकल्प सं०–3/निदे० पी०ओ०ए०(आ०यो०)16–05/2019–1825 दिनांक 19.09.2020 द्वारा योजना एवं कार्यान्वयन हेतु विभागीय पत्रांक–1827 दिनांक–19.09.2020 द्वारा मार्गदर्शिका निर्गत है।

2– विषयांकित अधिनियम के नियम–15(1) (घ) के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवार के कमाने वाले सदस्य की हत्या होने पर एक आश्रित सदस्य को जिला स्तर पर विभिन्न विभागों में परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति की कार्रवाई करने का प्रावधान है। तत्संबंधी मार्गदर्शिका की कंडिका–4 (iii) नियुक्ति हेतु अर्हता में वर्णित है कि चिन्हित पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता ही इस नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता मानी जाएगी।

3–सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या–16970 दिनांक–12.12. 2012 के द्वारा परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) पदों हेतु शैक्षणिक योग्यता दसवीं (मैट्रिक) उत्तीर्ण या समकक्ष निर्धारित है।

4–अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (समय–समय पर यथासंशोधित) के तहत दर्ज हत्या (कमाऊ सदस्य) के मामलों में नियुक्ति संबंधी कार्रवाई की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) के पदों पर नियुक्ति हेतु अधिकांश आश्रित कक्षा दसवीं (मैट्रिक) या समकक्ष से कम योग्यता रखते है, जिससे नियम–15 (1) (घ) की योजना का समुचित कार्यान्वयन प्रभावित हो रहा है एवं योजना के उद्देश्य की पूर्ति नही हो पा रही है।

5–अतः सम्यक विचारोपरांत विभागीय संकल्प सं०–1825 दिनांक–19.09.2020 के कार्यान्वयन हेतु विभागीय पत्रांक–1827 दिनांक–19.09.2020 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका की कंडिका–4(iii) नियुक्ति हेतु अर्हता में वर्णित प्रावधान *"चिन्हित पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता ही इस नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता मानी जाएगी।"* के साथ–साथ निम्नलिखित प्रावधान जोड़े जाते हैं:–

"सामान्य प्रशासन विभाग, पटना बिहार द्वारा परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) के पदों पर नियुक्ति की अर्हता हेतु समय–समय पर निर्गत पत्र/परिपत्र/अधिसूचना/संकल्प अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पीड़ितों/आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति में भी लागू होगें।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) के पत्र संख्या–10073 दिनांक–18.12.2008 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–13350 दिनांक–02.08.2022 तथा समय–समय पर अन्य निर्गत पत्र/परिपत्र/ अधिसूचना/ संकल्प के द्वारा मृत महादलित सरकारी सेवक के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में दी गई छूट सभी पात्र अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पीड़ितों/आश्रितों के लिए लागू होगी।"

6–विभागीय संकल्प सं0–1825 दिनांक–19.09.2020 तथा पत्रांक–1827 दिनांक–19.09.2020 द्वारा निर्गत क्रमशः योजना एवं मार्गदर्शिका के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

7–इस संकल्प के प्रावधान मार्गदर्शिका निर्गत होने की तिथि दिनांक–19.09.2020 से प्रभावी होगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाए और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/ पदाधिकारी एवं कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराई जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(दिवेश सेहरा)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–3/निदे० पी०ओ०ए० (आ0यो०)16–05/2018-5805 पटना, दिनांक–27.11.2023

प्रतिलिपि–हस्ताक्षरित प्रति अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इसे राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं विभाग को 1500 अतिरिक्त प्रतियां भेजने हेतु अग्रसारित ।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–3/निदे० पी०ओ०ए० (आ0यो०)16–05/2018-5805 पटना, दिनांक–27.11.2023

प्रतिलिपि–हस्ताक्षरित प्रति प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग को हार्ड कॉपी (दो प्रति) एवं सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक–3/निदे० पी०ओ०ए० (आ0यो०)16–05/2018-5805 पटना, दिनांक–27.11.2023

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–3/निदे० पी०ओ०ए० (आ0यो०)16–05/2018-5805 पटना, दिनांक–27.11.2023

प्रतिलिपि–सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–3/निदे० पी०ओ०ए० (आ0यो०)16–05/2018-5805 पटना, दिनांक–27.11.2023

प्रतिलिपि –मुख्य सचिव, बिहार/ विकास आयुक्त, बिहार /सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव /पुलिस महानिदेशक, बिहार/ सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/अपर पुलिस महानिदेशक, कमजोर वर्ग, अपराध अनुसंधान विभाग/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/आई० टी० मैनेजर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–3/निदे० पी०ओ०ए० (आ0यो०)16–05/2018-5805 पटना, दिनांक–27.11.2023

प्रतिलिपि प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय/ सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–3/निदे० पी०ओ०ए० (आ0यो०)16–05/2018-5805 पटना, दिनांक–27.11.2023

प्रतिलिपि–सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली/सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार/सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग/सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव